बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग।

(18)

अधिसूचना।

संख्या–टी–1/स्था0(6) लि0–40/2008....................../भारत संविधान के अनुच्छेद 309 परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल " बिहार प्रशिक्षण–पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 "(समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ–
   - (1) यह नियमावली " बिहार प्रशिक्षण–पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2015 कही जा सकेगी।
   - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   - (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. बिहार प्रशिक्षण पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 के नियम 6 के उप नियम (3) परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा–

"परन्तु यह कि सीधी भर्ती से भरे जानेवाले पदों का अधिक से अधिक 10 (दस) प्रतिशत पद सरकारी सेवक, जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई हो, के आश्रितों के बीच से, विहित प्रक्रियानुसार एवं तारीख में नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ धारित करने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी। अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रावधानित पदों के रिक्त रहने की स्थिति में इसकी सूचना संबंधित अनुकंपा समिति को भेजकर उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध कराने अनुरोध प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

3. बिहार प्रशिक्षण पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 के नियम 6 के उप नियम निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा :–

"(5) निम्नवर्गीय लिपिक के स्वीकृत बल का 15% पद समूह ' घ ', के वैसे कर्मी जो लिपिक पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों से, बिना किसी परीक्षा के, वरीयता क्रम में, भरे जायेंगे।

4. बिहार प्रशिक्षण पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 के नियम 6 के उप नियम एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी–1/स्था0(6) लि0–40/2008.......952....../प ट ना, दिनांक– 30–04—2015

प्रतिलिपि:– अधीक्षक मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक प्रकाशनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी–1/स्था0(6) लि0–40/2008........................./प ट नां, दिनांक– 30–04–2015

प्रतिलिपि:– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्राचार्य ITI महिला सहित/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी/क्षेत्रीय उ0 नि0 प्रशिक्षण/सभी स0 प्रशिक्षण शिशु/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग।

Scanned by CamScanner

विहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग।

1160
06.08.14

अधिसूचना।

संख्या–टी–1/स्था0(6) लि0–40/2008...../भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विहार के राज्यपाल " विहार प्रशिक्षण–पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 " का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1– संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ।

(1) यह नियमावली " विहार प्रशिक्षण–पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2014 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण विहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2– उक्त नियमावली 2011 का नियम 6 का उप नियम (1) निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा:–

"(1) निम्नवर्गीय लिपिक में भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इन्टर मीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष और हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण का ज्ञान के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन की अर्हता अनिवार्य होगी।

विहार राज्यपाल के आदेश से

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी–1/स्था0(6) लि0–40/2008–1160/प ट ना, दिनांक– 06–08–2014

प्रतिलिपि:– अधीक्षक मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को विहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी–1/स्था0(6) लि0–40/2008–1160/प ट ना, दिनांक– 6-8-2014

प्रतिलिपि:– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों/सभी प्राचार्य ITI महिला सहित/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी/क्षेत्रीय उ0 नि0 प्रशिक्षण/सभी स0 नि0 प्रशिक्षण शिक्षु/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग।

Scanned by CamScanner

(18)

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण(प्रशिक्षण–पक्ष)

"अधिसूचना"

संख्या–टी 1/स्था0(6).लि0–40/ 2008...1459 पटना, दिनांक– 2/6/11

भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत बिहार राज्यपाल श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / कार्यालयों में लिपिकों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति के संबंध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ– (1) यह नियमावली " बिहार प्रशिक्षण–पक्ष/संस्थान लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ– इस नियमावली में, जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:–
(क) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि,
(ख) " संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार प्रशिक्षण–पक्ष लिपिकीय संवर्ग",
(ग) " सीधी भर्त्ती से नियुक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है , आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्ति;
(घ)" राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार (श्रम संसाधन विभाग) ।
(ङ)" नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण,
(च)" परिवीक्षाधीन" से अभिप्रेत है निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में परिवीक्षाधीन रूप से नियुक्त व्यक्ति।
(छ)" सामान्य वरीयता सूची "से अभिप्रेत है, नियत तिथि की स्थिति के अनुसार तथा समय–समय पर पुनरीक्षित संवर्ग के कर्मचारियों की वरीयता सूची जिसका संधारण निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष), करेगा तथा
(ज)" आयोग " से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग।
3. संवर्ग– यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा ।
4. संवर्ग का अधिकृत बल– संवर्ग के अधिकृत बल का समय–समय पर आवश्यकतानुसार पुनर्निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।

परन्तु यह कि निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) में नियत तिथि को लिपिकों के स्वीकृति बल का 50 प्रतिशत पद निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि का और 50 प्रतिशत पद उच्चवर्गीय लिपिक एवं अन्य उच्चतर कोटियों का समझा जायेगा। अतिरिक्त विषम संख्या वाले पद निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में समझे जायेंगे। लेकिन उच्चवर्गीय लिपिक का कार्यरत बल यदि 50 प्रतिशत से अधिक हो तो कार्यरत उच्चवर्गीय लिपिक की सेवानिवृत्ति या प्रोन्नति होने तक ऐसा पद उच्चवर्गीय लिपिक का समझा जायेगा। उच्चवर्गीय लिपिक का पद बल जब तक 50 प्रतिशत से कम नहीं हो जाता है तब तक उच्चवर्गीय लिपिक की कोटि में प्रोन्नति नहीं दी जायेगी। संवर्ग की विभिन्न कोटि के पदों की संख्या का निर्धारण किया जा सकेगा तथा इसमें अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद भी सृजित किया जा सकेगा अथवा किसी पद को स्थगित या रिक्त रखा जा सकेगा जिसके कारण इस संवर्ग का कोई भी सदस्य क्षतिपूर्त्ति का हकदार नहीं होगा।

P.T.O

Scanned by CamScanner

5. आरक्षण– संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

6. निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में भर्त्ती– (1) निम्नवर्गीय लिपिक में भर्त्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अर्हता प्रवेशिकोर्त्तीर्ण अथवा समकक्ष और हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण का ज्ञान के साथ–साथ कम्प्युटर संचालन की योग्यता अनिवार्य होगी।

(2) प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर परिगणित रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को 30 अप्रिल तक भेज दी जायेगी। आयु की अर्हत्ता 01अगस्त के अनुसार होगी।

(3) निम्नवर्गीय लिपिक कोटि के अधिकृत बल का पचासी प्रतिशत (85%) पद सीधी भर्त्ती से आयोग द्वारा इस उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जायेगा।

परन्तु यह कि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों का अधिक से अधिक 05 (पॉच) प्रतिशत पद ऐसे सरकारी सेवक, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों के बीच से, विहित प्राकियानुसार एवं इस कोटि में नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ धारित करने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

(4) नियत तिथि को निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत और अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस कोटि में स्वतः समाहित समझे जायेंगे।

परन्तु यह कि वैसे निम्नवर्गीय लिपिक जो इस सेवा में स्वतः शामिल समझे गये हैं और जिनकी उम्र नियत तिथि को 50 वर्ष से कम हो, को नियत तिथि से दो वर्ष के अन्दर हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण एवं कम्प्युटर में योग्यता हासिल कर लेनी होगी। उक्त अवधि के अन्दर ऐसी योग्यता हासिल नहीं करने पर उन्हें भविष्य कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

(5) अधिकृत बल का शेष 15(पंद्रह) प्रतिशत पद क्षेत्रीय कार्यालयों की नियमित स्थापना में कार्यरत समूह "घ" के, विनियमावली द्वारा निर्धारित योग्यताएँ/अर्हताएँ धारित करने वाले कर्मियों से, आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जायेंगे।

(6) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रिक्तियों की सूचना दिये जाने के आधार पर श्रम संसाधन विभाग द्वारा आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजी जायेगी

(7) उप नियम (3) एवं (5) में संदर्भित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अर्हता, नियम, पाठ्यक्रम आदि वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विनियमावली के माध्यम से विनिश्चित की जायेगी।

7. परिवीक्षा अवधि– निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में कोई भी नियुक्ति, चाहे वह सीधी भर्त्ती द्वारा हो या सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या अनुकम्पा के आधार पर, प्रारम्भ में परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि दो वर्षो की होगी, जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

परन्तु नियत तिथि के पूर्व से निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त कर्मियों को नियत तिथि के प्रभाव से परिवीक्षा पर नियुक्त माना जाएगा।

परंतु यह भी कि परिवीक्षा के विस्तार की कुल अवधि तीन वर्षो से अधिक की नही होगी। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नही होने पर सेवा मुक्त किया जा सकेगा।

8. प्रशिक्षण– परिवीक्षा अवधि में, निम्नवर्गीय लिपिक को ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा, जो विनियमावली द्वारा विहित अथवा राज्य सरकार के द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

9. सम्पुष्टि

(1) निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने पर और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण एवं कम्प्यूटर योग्यता की जॉच में उत्तीर्ण होने और बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली कें सुसंगत नियमों में निर्धारित विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संपुष्ट किया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

(क) बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली ,1958 के नियम 157(3) (जो) (क) के अनुसार जो लिपिक विभागीय लेखा के दोनो पत्रों में कम से कम प्रारंभिक स्तर में उत्तीर्ण न हो उन्हे सेवा में संपुष्ट नहीं किया जाएगा ।

(ख) जो लिपिक दोनों पत्रों में अंतिम स्तर में लेखा परीक्षा पास न हों उन्हे उच्चवर्ग लिपिक में प्रोन्नति नही दी जाएगी।

(ग) अंतिम लेखा परीक्षा पास वरीय लिपिक की अनुपलब्धता के कारण ,अंतिम लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कनीय लिपिक को उच्च पद पर प्रोन्नति दी जाएगी।

(घ) इन परीक्षाओं में बैठने वाले लिपिकों को कर्तव्यरथ माना जाएगा और उन्हे यात्रा-भत्ता नियमावली के अनुसार केवल प्रथम दो परीक्षाओं के लिए यात्रा-भत्ता दिया जाएगा। लेकिन उम्मीदवार इन परीक्षाओं में कितनी बार बैठ सकेगा, इसकी कोई सीमा नहीं होगा।

(ड़) जो लिपिक एक पत्र में उत्तीर्ण और दूसरे में अनुत्तीर्ण हो जाएउसे अगली परीक्षा में उस पत्र में जिसमें अनुत्तीर्ण हुए हो परीक्षा देनी होगी।

(2) उप नियम (1) में उल्लेखित विभागीय लेखा परीक्षा का संचालन राजस्व पर्षद द्वारा किया जायेगा। टंकण एवं कम्प्यूटर में योग्यता जॉच के लिए प्रकिया आदि का निर्धारण राज़स्व पर्षद के परामर्श से विनियमावली के तहत किया जायेगा।

10. निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में वरीयता का अवधारण

(1) निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण-पक्ष) स्तर पर एक वरीयता सूची होगी।

(2) नियम-6 के उप नियम (3) के अधीन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित योग्यता सूची के अनुसार होगी।

(3) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी नियुक्ति की तिथि के अनुसार होगी।

(4) किसी वर्ष में नियम-6(3)के अधीन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियागिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त सभी कर्मी अथवा नियम-6 (5) के अधीन नियुक्त सभी कर्मी ,उस वर्ष में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मी से वरीय होंगे।

(5) नियम-6(5) के अधीन नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के योग्यता सूची के अनुसार होगी।

(6) किसी भर्त्ती वर्ष में नियम-6 (5)के अधीन नियुक्त सभी कर्मी उसी भर्त्ती वर्ष में नियम-6 (3) के अधीन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मियों से कनीय होंगे / वरीय होंगें।

11. प्रोन्नतिः-

इस संवर्ग में प्रोन्नति के सोपान निम्न प्रकार होंगेः-

(1) निम्नवर्गीय लिपिक कोटि के उन लिपिकों में से उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा जो संपुष्ट हों तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि पूरा करते हों एवं बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के सुसंगत नियमों के अनुसार, प्रोन्नति हेतु निर्धारित विभागीय लेखा परीक्षा दोनों पत्रों में अंतिम स्तर में उत्तीर्ण हों।

(2) उच्चवर्गीय लिपिक कोटि में प्रोन्नति इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जा सकेगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण की अध्यक्षता में होगा जिसमें एक अनु0 जाति / जन जाति के एक पदाधिकारी का सदस्य होना अनिवार्य होगा।

(3) नियत तिथि को कार्यरत सभी लिपिक इस सेवा के उच्चवर्गीय लिपिकों की कोटि के स्वतः सदस्य हो जायेंगे।

Scanned by CamScanner

परन्तु यह कि वैसे लिपिक जो उच्चवर्गीय लिपिक की कोटि में स्वतः आमेलित किये गये हैं और जिनकी उम्र नियत तिथि को 50 वर्षों से कम हो, को नियत तिथि से दो वर्षो के अन्दर टंकण एवं कम्प्यूटर में योग्यता हासिल कर लेनी होगी। उक्त अवधि के अन्दर ऐसी योग्यता हासिल नहीं करने पर आगे कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

(5) उच्चवर्गीय लिपिक के अधिकृत पद वल के पद पर कार्यरत उन कर्मियों में से प्रधान लिपिक के पद पर एवं प्रधान लिपिक के अधिकृत पद बल के पद पर कार्यरत उन कर्मियों में से लेखा निरीक्षक के पद पर वरीयता के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि पुरा करते हों।

(6) प्रधान लिपिक एवं लेखा निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नति इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जा सकेगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन उपनियम (2) के अनुसार होगा।

12. निर्वचन– जहॉ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहॉ वह विषय सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत नियम अनुदेश आदि इस सवर्ग पर स्वतः लागू समझे जाँएगें

13. विंनियम बनाने की शक्ति – इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार श्रम संसाधन विभाग विनियमावली बना सकेगा।

14. प्रकीर्ण– किसी अन्य नियमावली में बिहार प्रशिक्षण–पक्ष लिपिकीय संवर्ग नियमावली के संदर्भ में इस नियमावली के प्रतिकूल किसी बात के होने पर इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।

15. निरसन– इस नियमावलीके प्रवृत होने के पूर्व इस संवर्ग से संबंधित प्रासंगिक संकल्प /परिपत्र /अनुदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के प्रभाव से निरसित समझे जाँएगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(व्यासजी)
प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी 1/स्था0(6).लि0–40/ 2008 1459 पटना, दिनांक– 2/6/11

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के साधारण अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी 500 (पॉच सौ) प्रतियॉ निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष), श्रम संसाधन विभाग को भेजने हेतु अग्रसारित।

(व्यासजी)
प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी 1/स्था0(6).लि0–40/ 2008 1459 पटना, दिनांक– 2/6/11

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप निदेशक प्रशिक्षण/सभी प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान (महिला औ0 प्र0 संस्थान सहित)/सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना/परीक्षा नियंत्रक, पटना/निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(व्यासजी)
प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

Scanned by CamScanner